

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/

प्रार्थी

बनाम

266

अप्रार्थीगण

दिनांक - 20/1/20

1 बहादुरसिंह पुत्र
राजसिंह जाति
राजपूत निवासी
कुडला तहसील व
जिला बाड़मेर।

1 हुकमसिंह पुत्र मानसिंह 2 प्रेमसिंह पुत्र भागसिंह 3 हेबसिंह
पुत्र राजसिंह 4 देवीसिंही पुत्र हिन्दूसिंह 5 प्रवीणसिंह पुत्र
मानसिंह जाति राजपूत निवासी कुडला 6 दिनेश कुमार पुत्र
गोरधनसिंह 7 श्रीराम पुत्र गोमदाराम 8 भैराराम पुत्र हरखाराम 9
जेठाराम पुत्र वागाराम 10 देवाराम पुत्र सताराम 11 कंवराराम
पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी कुडला 12 रामदेव उर्फ
रामाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी शिवकर तहसील व
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 161/2019

दिनांक- 30/01/20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा कुडला पटवार क्षेत्र कुडला तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 762/489 रकबा 20.00 बीघा, खसरा संख्या 764/489 रकबा 15.13 बीघा,
खसरा संख्या 753/414 रकबा 42.18 बीघा व खसरा संख्या 757/419 रकबा 07.05 बीघा
भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर
को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व
अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में
खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश
दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है,
जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2020/ 267-70

दिनांक- 20/1/20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कुडला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपरिथत रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. बहादुरसिंह पुत्र राजसिंह जाति राजपूत निवासी कुडला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी हुकमसिंह पुत्र मानसिंह वगैरह जाति राजपूत निवासी कुडला तहसील व जिला
बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

